UPET040021802024

न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा।

उपस्थित–कामायनी दूबे,'उ.प्र.न्यायिक सेवा'
जे.ओ.कोड संख्या–यू.पी. 2280
प्रकीर्ण वाद संख्या–383 सन 2024
सरकार बनाम राजबहादुर

धारा– 279,427,304ए भा.द.स.
अ0स0–309 सन 2023
थाना–मिरहची जनपद एटा।

01–03–2024

प्रार्थी राजबहादुर ओर से **मोटरसाकिल नम्बर यू.पी.82ए0जे0 8369 इंजन नम्बर JC89EG0061442 व चैसिस नम्बर ME4JC892JLG034604** को अपने पक्ष में अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना गया एवं थाने से प्राप्त आंख्या का अवलोकन किया गया।

थाना मिरहची की आख्या के अनुसार प्रश्नगत वाहन थाना हाजा पर निरूद्व है जिसका तकनीकी परीक्षण हो चुका है।

प्रश्नगत वाहन की आर.सी. दाखिल की गयी है जिसमें उक्त वाहन प्रार्थी राजबहादुर के नाम पंजीकृत है।

प्रश्नगत वाहन का बीमा दिनांक 23.11.2020 से 22.11.2025 तक का दाखिल किया गया है। अर्थात प्रश्नगत वाहन दुर्घटना की दिनांक 11–12–2023 को बीमित था।

विधि व्यवस्था 2017 ए सी आर पेज–281 धीरेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू.पी.एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि सबंधित मामले में अपराध साबित होता है तो व्यक्ति दोषी होगा न कि वाहन।

सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात 2003(1) जे. आई.सी.615 (एस.सी.) में प्रतिपादित सिद्वान्त के अनुसार यदि वाहन को पुलिस स्टेशन में लम्बे समय तक रखा जायेगा तो उसका परिणामिक ह्रास होगा ऐसी, परिस्थितियों में ऐसे वाहनों को अवमुक्त किया जाना चाहिए। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत वाहन को उसके प्रार्थी की सुपुर्दगी में निम्न प्रकार से दिया जाना न्यायोचित होगा ।

आदेश

प्रार्थी राजबहादुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि वह मुवलिग 60,000/–(साठ हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की एक प्रतिभू तथा इस आशय की अंडर टेंकिग कि वह दौरान विचारण उक्त वाहन को बिना न्यायालय की अनुमति के

बेचेगा नहीं तथा न ही रूप रंग में परिवर्तन करेगा एवं विवेचक या न्यायालय द्वारा तलब करने पर अपने हर्जे खर्चे पर प्रस्तुत करेगा।

थानाध्यक्ष कोतवाली देहात एटा को आदेशित किया जाता है कि वह **मोटरसाकिल नम्बर यू.पी.82एए–9652 इंजन नम्बर JA05EGH9M03531 व चैसिस नम्बर MBLJAR037H9M03206** को प्रार्थी/पंजीयन स्वामी के पक्ष में वाहन का इंजन नम्बर व चैसिस नम्बर मिलान करके **(यदि अन्य किसी मामले में वांछित न हो तो),** सुपुर्द करें। संबधित लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह पंजीयन प्रमाणपत्र तथा जामिनदार का सत्यापन कराने के उपरांत रिलीज आदेश जारी करें।

(कामायनी दूबे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
एटा।